# कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

## प्रेस-नोट

**दिनांक:-25-02-2025**

**विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त अभिषेक व अमित को डकैती व हत्या के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-166/2009 धारा-394, 397,411,120बी से सम्बन्धित अभियुक्तगण को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 25-02-2025 को मा0 न्यायालय ACC-4 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया गयाः-

1. **अमित जयसवाल पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी-डी-60/88 छोटी गैबी थाना सिगरा वाराणसी** को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध धारा 397 भादवि में 08 वर्ष का कारावास एवं धारा 394 भादवि में 08 वर्ष कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
2. **अभिषेक उर्फ मोंटी सेठ निवासी शम्भूनाथ सेठ निवासी चौबेनाथ सरस्वती नगर कालोनी थाना सिगरा वाराणसी** को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए धारा 397 भादवि संबंधित धारा 120बी भादवि में 08 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा- 411 भादवि सपठित धारा 120बी में 03 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त जोन-काशी**
**कमिश्नरेट-वाराणसी**